माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–12.10.2026 को अपराह्न 04:30 बजे VC के माध्यम से सभी अपर समाहर्त्ताओं, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं सभी अंचल अधिकारियों के साथ आयोजित राजस्व संबंधी मामलो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–12.10.2026 को अपराह्न 04:30 बजे VC के माध्यम से सभी अपर समाहर्त्ताओं, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं सभी अंचल अधिकारियों के साथ राजस्व संबंधी मामलो की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में माननीय विभागीय मंत्री एवं V.C के माध्यम से उपस्थित अपर समाहर्त्ताओं, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं सभी अंचल अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं वर्तमान में चल रहें अमीन एवं राजस्व कर्मचारियो के हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन किये जाने के संबंध में निम्न निदेश दिये गये :–

1. **कोर्ट केस के लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्रता से किया जाए :–** माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न सी0डबलू0जे0सी0 / एम0जे0सी / एल0पी0ए0 मामलें है, उसकी समीक्ष कर ली जाय एवं ससमय माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र / कारणपृच्छा दायर करते हुए उसका ओथ सं0 एवं तिथी से विभाग को भी अवगत कराया जाय।

2. **राजस्व कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाए :–** जिन राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण एक जिला से दुसरे जिला में हुआ है और उनका एल0पी0सी0 अभी तक निर्गत नहीं किया गया है, उसे शीघ्र निर्गत कराये। जो राजस्व कर्मचारी MACP / ACP की अर्हता पूरी कर चुके हैं, उनके MACP / ACP के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. **कार्यालय का निरीक्षण किया जाए :–** अपर समाहर्त्ता अपने कार्यालय का निरीक्षण करते हुए उसके पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल कार्यालय की समीक्षा समय समय पर करेंगें।

सभी अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर अंचल को छोड़कर अपने क्षेत्राधीन किसी भी अंचल में जाकर जाँच करे कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत

बन्दोबस्ती की गयी भूमि से संबंधित बन्दोबस्त पंजी अंचल कार्यालय में किस रूप में संधारित है, किस–किस वर्ष में कितने परिवारों को सरकारी भूमि बन्दोबस्ती की गयी है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।

4. AC / DC बिल के समायोजन की कार्रवाई शीघ्रता से की जाय :– ए0सी0 बिल के विरूद्ध डी0सी0 बिल कितना बना है, इसकी समीक्षा अंचलवार विस्तार से किया जाय। जितने भी ए0सी0 बिल है, उसका डी0सी0 बिल तैयार कर समायोजन हेतु महालेखाकार कार्यालय को भेजते हुए समायोजन की कार्रवाई शीघ्रता से की जाय।

5. भू–अभिलेख पोर्टल पर अपलोड राजस्व अभिलेख के सत्यापित प्रति निर्गत किये जाने के संबंध में :– बैठक में निदेश दिया गया कि जो राजस्व अभिलेख भू–अभिलेख पोर्टल पर अपलोड है, उसकी सत्यापित प्रति ऑनलाइन ही निर्गत की जानी है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलइन राजस्व अभिलेख की प्रति निर्गत नहीं की जानी है।

6. अंचल अधिकारियों के समक्ष आपत्ति के मामलों का त्वरित गति से निष्पादनः – संबंधित अंचल अधिकारी अपने समक्ष लंबित आपतियों का त्वरित गति से निष्पादन करेंगे।

7. अभियान बसेरा :– आगामी 20 नवम्बर 2026 को वासविहिन परिवारों को बन्दोबस्ती पर्चा वितरित कि जानी है। इस हेतु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के प्रथम चरण में कई आवेदकों द्वारा बिना आवेदन फॉर्मेट के ही ऑफलाइन आवेदन दिए गए हैं, जिन्हें अब ऑनलाइन किया जाना है। उक्त हेतु बन्दोबस्ती पर्चा के संबंध में अंचलवार विकास मित्रों की बैठक आयोजित करके अभियान बसेरा के आवेदन का फॉर्मेट में अद्यतन सूचना अंकित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

इस हेतु अपर समाहर्त्ता सभी अंचलों में, अंचल की आवश्यकतानुसार डेढ़ गुना आवेदन प्रपत्र वितरित करायेगें। आवेदक विकास मित्र को आवेदन भर कर देंगे, विकास मित्र द्वारा भरे हुए आवेदनों को अंचल कार्यालय में ऑनलाइन इन्ट्री करायी जायेगी।

8. Virtual Court कोर्ट एवं राजस्व भवन के निर्माण :–

समीक्षा के क्रम में अधिकांश अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा Virtual Court ~~कोर्ट~~ एवं राजस्व भवन के निर्माण हेतु भूमि को चिन्हित कर लिया गया हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि चिन्हित भूमि समाहरणालय परिसर, सदर अंचल या जिला मुख्यालय के एक से डेढ़ किलोमीटर के परिधि के अन्दर ही है। निदेश

दिया गया कि इस हेतु भूमि हस्तांतरण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ताकि Virtual Court ~~कोर्ट~~ एवं राजस्व भवन के निर्माण के संबंध में अग्रेत्त कार्रवाई की जा सकें।

9. Virtual Court — कोर्ट केस के मामलों में सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर ही सुनवाई की जाय। सुनवाई के क्रम में माईक एवं कैमरा ऑन रखी जाय एवं Virtual Court का माहौल गरिमापूर्ण रखी जाय।

माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं सभी अंचल अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मुसहरी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई किस परिस्थिति में हुई इसे अवगत कराया गया एवं निदेश दिया गया कि फर्जी आवेदक के मामलों में तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/10/26

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

E-mail

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक कार्यवाही)–11/2026...1398 (10)/रा0, दिनांक–29/10/26

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकरी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.10.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक कार्यवाही)–11/2026...1398 (10)/रा0, दिनांक–29/10/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.10.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0/(बैठक कार्यवाही)–11/2026..1398.. (10)/रा0, दिनांक–..29/10/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।